न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः– राजलक्ष्मी गहलोत , आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 93/2016 वाद पत्र

उनवान

1. जवाहरमल आत्मज नेनु गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. लेहरू आत्मज नेनु गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. गोरधन आत्मज नेनु गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. भैरूलाल आत्मज हरजी गुर्जर नाबालिग बविलायत जरिऐ माता मंथरी देवी पत्नि हरजी गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. देवीलाल आत्मज हरजी गुर्जर नाबालिग बविलायत जरिऐ माता मंथरी देवी पत्नि हरजी गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6. कैलाश चंद्र आत्मज हरजी गुर्जर नाबालिग बविलायत जरिये माता श्रीमति मंथरी देवी पत्नि हरजी गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7. श्रीमति मंथरी देवी पत्नि हरजी गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8. मु0 रूपी बेवा नेनु गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादीगण

बनाम

1. खेमा मुतबन्ना भीमा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. श्यामलाल आत्मज भोजा गुर्जर नाबालिग बविलायत जरिये माता संतोकी पत्नि भोजा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. मु0 सीता पुत्री भौजा गुर्जर नाबालिग बविलायत जरिये माता संतोकी पत्नि भौजा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. मु0 जमना पुत्री भौजा गुर्जर नाबालिग बविलायत जरिये माता मु0 संतोकी पत्नी भोजा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. मु0 संतोकी देवी पत्नि भोजा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6. मु0 जमु बेवा मांगु गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7. बैंक आफ बडोदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा बजरिये शाखा प्रबन्धक
8. ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा बजरिये व्यवस्थापक
9. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार रायपुर भीलवाडा
10. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा बजरिऐ शाखा प्रबन्धक

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा, 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्ता वादीगण – श्री हरिश टेलर

निर्णय

दिनांक 04.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प अटल सेवा केन्द्र सगरेव मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 06 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 2901 रकबा 0.85 हैक्टेयर, 2902 रकबा 0.42 हैक्टेयर, 2903 रकबा 0.70 हैक्टेयर, 2904 रकबा 0.47 हैक्टेयर, 2905 रकबा 2.00 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल 4.44 हैक्टेयर भूमि का वादीगण के संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का बाई मिट्स एण्ड

...डत एवं मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री ...री किये जाने एवं तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था। जिसकी पालना में दिनांक 04.05.2018 को तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया हैः–

क्र.	प्रस्तावित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा(है0)	लगान
01	(1)जवाहरमल (2)लेहरू (3)गोरधन पिता नेनू (4)रूपी बेवा नेनू (5)भैरूलाल (6)देवीलाल, (7)कैलाश चंद पिता हरजी (8)पुजा पुत्री हरजी सभी ना बा ब वि माता मंथरी देवी (9) मंथरी देवी पत्नी हरजी गुजर सा0 देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी	2901 2902 2904/2	0.85 0.42 0.21	9.83 4.86
		3	1.48	
02	(1) खेमा मुत. भीमा 111/296 (2) श्यामलाल पिता भोजा (3)सीता (4)जमना पुत्रीयां भोजा सभी ना बा ब वि माता संतोकी देवी, (5)संतोकी देवी पत्नी भोजा 129/296, (6)जमु बेवा मांगु गुजर 56/296 2 सा देह खातेदार	2903 2904/1 2905	0.70 0.26 2.00	
		3	2.96	

तहसीलदार ने प्राथमिक डिक्री में दिये अनुतोष से भी अलग वादी पक्ष में पूजा पुत्री हरजी ब. वि.माता मंथरी और प्रतिवादी पक्ष में सुमित्रा पुत्री भोजा ब.वि. माता संतोकी को भी वाद ग्रस्त भूमि का खातेदार मानकर विभाजन मे हिस्सा दे दिया है जिसका कि उन्हें क्षेत्राधिकार नही है। इसलिये वाद में चाहे गये अनुतोष एंव जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित है।

आदेश

ग्राम सगरेव के पटवार हल्का सगरेव में स्थित खाता संख्या 96 की भूमि का वादीगण के बीच विभाजन निम्नानुसार किया जाकर दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता हैः–

(1)जवाहरमल (2)लेहरू (3)गोरधन पिता नेनू (4)भैरूलाल (5)देवीलाल, (6)कैलाश चंद पिता हरजी सभी ना.बा.ब.वि माता मंथरी देवी पत्नी हरजी (7) मंथरी देवी पत्नी हरजी गुजर (8)रूपी बेवा नेनू सा0 देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी	2901 2902 2904/2	0.85 0.42 0.21	9.83 4.86
	3	1.48	

इसके अलावा शेष सह खातेदारों के अंकन में कोई परिवर्तन विभाजन प्रस्ताव के संदर्भ में नही किया जावे। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा